महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक

दिनांक

22 मार्च, 2023

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 104वीं बैठक दिनांक 22 मार्च, 2023 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो. शिव प्रसाद (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य) — सदस्य
4. डॉ. विभा शर्मा, (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) **(ऑनलाईन उपस्थित हुई)** — सदस्य
5. डॉ. पंकज चौधरी, (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
6. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) — सदस्य
7. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, (प्रमुख शासन सचिव,वित्त/संभागीय आयुक्त, अजमेर, के प्रतिनिधि) — सदस्य
8. कुलसचिव — सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित सदस्यों का अध्यक्ष महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलपति महोदय ने कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.2023 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के	**शैक्षणिक-I**

	पत्र क्रमांक 86481-92 दिनांक 24.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 3956-67 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा प्रेषित की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1 एवं 2)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.2023 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3 एवं 4) (अनुपालना रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 3	वित्त समिति की दिनांक 02.03.2023 को सम्पन्न हुई 40वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)**	**लेखा एवं वित्त**
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 4	विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियमानुसार नियुक्ति की सुनिश्चितता हेतु एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली से स्टॉफ अनुमोदन हेतु पत्र प्राप्त होते रहते है । इस क्रम में सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय परिनियम-17(5) के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों इत्यादि की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करने के निर्देश दिये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)**	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नवीन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (B.Ed. Colleges) को मान्यता देते समय विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम (Statute) 17 (5) की पालना सुनिश्चित की जाय ।**	
मद सं. 5	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** **(1) प्रतिवेदन है कि,** विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि नियमावली के नियम 14 (2) के अन्तर्गत स्थाई ब्याज दरें निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए दिनांक 28.07.2020 को एवं वित्तीय	**लेखा एवं वित्त**

	वर्ष 2020-21 से 2021-22 के लिए दिनांक 16.06.2022 को सामान्य प्रावधायी निधि समिति की बैठक सम्पन्न हुई । बैठकों की संस्तुतियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा के साथ स्वीकार करने के उपरान्त उक्त ब्याज दरों को प्रभावशील किये जाने संबंधी निम्न कार्यालय आदेश जारी किये गयेः- 1. **वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20**:- कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) विवले-II/मदसविवि/2020/10681 दिनांक 31.07.2020 2. **वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22**:- कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) विवले-II/मदसविवि/2022/18681 दिनांक 08.07.2022 माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त शक्तियों के तहत ब्याज दरों के प्रवृत्त किये जाने संबंधी उपरोक्त वर्णित 02 आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7 एवं 8)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी तथा विश्वविद्यालय कार्मिकों को उनके पी.एफ. खाते में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर, राज्य सरकार के कार्मिकों को मिलने वाली ब्याज दर की तुलना में काफी कम होने के कारण उपस्थित सदस्यों ने कार्मिकों के पी.एफ. खाते में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर के निर्धारण की प्रक्रिया पर चर्चा की । बैठक के दौरान कुलसचिव महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि कार्मिकों के पी.एफ. खाते में जमा राशि को बैंक में निवेश किये जाने पर जो ब्याज राशि प्राप्त होती हे उसे ब्याज निर्धारण के लिए गठित सक्षम समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्मिकों को उनकी पी.एफ. में जमा राशि पर ब्याज के रूप में दिया जाता है । विगत कई वर्षो से बैंक में एफ.डी. की ब्याज दर काफी कम हो गयी है, जिससे कार्मिकों को उनके पी.एफ.खाते में जमा राशि पर बहुत कम ब्याज मिल रहा है । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्मिकों के पी.एफ. खाते में जमा राशि पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित की जाय । जिससे कार्मिकों की पी.एफ. खाते में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर एवं निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर में से जो भी अधिक हो दिया जा सके । इस हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गयाः-** **1. एक प्रोफेसर, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।** **2. वित्त नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।** **3. वित्त नियंत्रक (किसी अन्य विश्वविद्यालय)** **4. श्री के.सी. टेलर, पूर्व वित्त नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।**	

	उक्त समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय के समक्ष वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।	
	(2) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय-समय पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पेंशन नियम 1990 के विनियम 29 (बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु प्रवृत किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11, 12 एवं 13)** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-	**लेखा एवं वित्त**

क्र.सं.	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत हुई	संशोधित दर
01	F-06( )COF/MDSU/2022/ 84391 Date 17.10.2022 (F.12(8)FD (Rules)2017 Date. 28.9.2022)	01.07.2022	34% से 38%
02	F-06( )COF/MDSU/2022/ 86407 Date 23.11.2022 (F.12(8)FD (Rules)2013 Date. 31.10.2022)	01.07.2022	203% से 212%
03	F-06( ) COF/MDSU/ 2023/ 5101 Date 08.03.2023 (F.12(8)FD (Rules)2017 Date. 11.03.2022)	01.01.2020 से 30.06.2020 01.07.2020 से 31.12.2020 01.01.2021 से 30.06.2021	21% 24% 28%

निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(3) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान राजकीय कर्मचारियों हेतु समय-समय पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महंगाई भत्ते नियमों के नियम 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय में प्रवृत किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नांकित कार्यालय आदेश **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14 एवं 15)** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-	**लेखा एवं वित्त**

क्र.सं.	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत हुई	संशोधित दर
01	No.F.06(41)A&F/MDSU/2022/ 1266-1300 Dated 24-11-2022	01-07-2022	203% से 212% (6th Pay)
02	No.F.06(41)A&F/MDSU/2022/ 84351-90 Dated 17-10-2022	01-07-2022	34% से 38% (7th Pay)

निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(4) प्रतिवेदन है कि, प्रबन्ध बोर्ड की 99 वीं बैठक दिनांक 05-02-2022 के मद संख्या 08 के निर्णय की अनुपालना में प्रोफेसर सतीश अग्रवाल (निलम्बित) का निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत बढ़ाये जाने के संबंध में संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार (शिक्षा ग्रुप-4) विभाग, जयपुर को पत्र क्रमांक : एफ (161) संस्था/मदसविवि/2022/ 6217 दिनांक 01-04-2022 प्रेषित किया गया। संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार (शिक्षा ग्रुप-4) विभाग,जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 9(3) शिक्षा-4/2020 दिनांक 25-05-2022 के निर्देशानुसार एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 27-02-2023 की अनुपालना में प्रोफेसर सतीश अग्रवाल (निलम्बित) को निलम्बन अवधि से 06 माह पश्चात् विश्वविद्यालय वेतन एवं भत्ता नियम 25 (1) a (i) (ii) के अनुसार निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ 1 संस्था/मदसविवि/2023/6048-58 दिनांक 18.03.2023 की पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-14)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 6	कार्यालय आदेश क्रमांक 26163-462 दिनांक 28.07.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-9)** व अध्यादेश 70-ए के नियम 19 i **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)** के अनुसार विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क व आर्थिक दण्ड की कार्यवाही की जा रही है । उक्त आदेशों/अध्यादेश में जी.एस.टी. का निर्धारण नहीं होने के कारण वर्तमान में जी.एस.टी.नहीं ली जा रही है । निर्देशानुसार महाविद्यालयों से जी.एस.टी. के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिये जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-II / लेखा एवं वित्त**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-** **1. विश्वविद्यालय द्वारा वसूल किये जा रहे सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क व आर्थिक दण्ड पर जी.एस.टी. लागू करने के प्रकरण का समग्र विश्लेषण कर विश्वविद्यालय को जी.एस.टी. से मुक्त किये जाने के संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदय, राज्य सरकार एवं जी.एस.टी. विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय ।** **2. वित्तीय वर्ष 2023-24 से महाविद्यालयों से वसूले जा रहे सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क व आर्थिक दण्ड पर मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर की तर्ज पर जी.एस.टी. लागू की जाय ।**	

	3. जी.एस.टी. विभाग द्वारा महाविद्यालयों से वसूले जा रहे सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क व आर्थिक दण्ड पर वर्ष 2017 से जी.एस.टी. वसूलने के संबंध में संबंधित महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया जाय ।	
मद सं. 7	संयुक्त निदेशक (सर्तकता) निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.5(49)/प्र.का./स.मा./नि.अ./2018/8679 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आक्षेपित आक्षेप संख्या 05 एवं 09 में उल्लेखानुसार उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराने एवं पूर्ण नवीनतम अनुपालना मय दस्तावेजों के साथ प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी सहित सूचना चाही गई है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)** प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2005 के निर्णय संख्या 17/27 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में न्यूनतम वेतनमान तथा उस पर देय अन्य भत्ते प्राप्त करने वाले कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई थी। इस संबंध में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष जांच प्रतिवेदन में आक्षेप संख्या 05 में त्रुटिपूर्ण लाभ देने हेतु तत्कालीन कुलपति प्रो0 एम0 एल0 छीपा, तत्कालीन कुलसचिव डॉ0 बी0 पी0 सारस्वत एवं तत्कालीन उपकुलसचिव-संस्थापन श्री बलवन्त सिंह को उत्तरदायी माना है, जबकि उक्त वेतन वृद्धि विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार प्रबंध बोर्ड के निर्णय की अनुपालना में जारी की गई थी। आक्षेप संख्या 05 में वर्णित उत्तरदायी समस्त अधिकारीगण विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत हो चुके हैं। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आक्षेप संख्या 05 के आक्षेपानुसार समस्त कार्मिकों का संशोधित वेतन नियतन कर वास्तविक राशि रूपये 8,15,503/- की वसूली लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा कर ली गई है तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को उक्त वसूली का सत्यापन मय दस्तावेजों के दिनांक 13.05.2022 को कराके अनुपालना रिपोर्ट मय दस्तावेजों के दे दी गई है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)** अतः स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष जांच प्रतिवेदन में आक्षेप संख्या 05 को निरस्त करवाये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। डॉ0 जगराम मीणा, सेवानिवृत परीक्षा नियंत्रक, श्री राजेन्द्र कुमार व्यास, सेवानिवृत उपकुलसचिव एवं डॉ0 प्रकाश चन्द्र पंकज, सेवानिवृत उपकुलसचिव के वेतन नियतन में रनिंग पे बैण्ड के अधिकतम पर पहुंचने पर वेतन वृद्धि जारी करने पर अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य थी। आक्षेप संख्या 09 का निष्कर्ष परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव पद पर	संस्थापन

	कार्यरत अधिकारियों से वसूली नहीं करने बाबत सहायक कुलसचिव-लेखा एवं वित्त श्री डी0 एल0 वर्मा ने अवगत कराया कि वसूलनीय राशि संबंधित अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत देय ऐरियर भुगतान में से समायोजित कर दी जायेगी। वसूली नहीं करने हेतु श्री डी0 एल0 वर्मा को उत्तरदायी माना है। आक्षेप संख्या 09 में वर्णित उत्तरदायी अधिकारी विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत हो गये हैं। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आक्षेप संख्या 09 के आक्षेपानुसार समस्त कार्मिकों का संशोधित वेतन नियतन कर वास्तविक राशि रूपये 1,48,385/- की वसूली लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा कर ली गई है तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को उक्त वसूली का सत्यापन मय दस्तावेजों के दिनांक 13.05.2022 को करा दिया गया है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-17)** अतः स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष जांच प्रतिवेदन में आक्षेप संख्या 09 को निरस्त करवाये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 8	राजस्थान राज्य सरकार के शिक्षा विभाग(ग्रुप-4) के पत्र क्रमांकःएफ-3(36)शिक्षा/4/89 दिनांक 16 अप्रेल, 1991 के द्वारा राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में दिनांक 01/01/1990 से पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय किया गया था। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिये जो पेंशन नियमावली जारी की गयी थी उसको विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 31/07/1991 के द्वारा प्रवृत्त एवं मान्य कर दिया गया था। विश्वविद्यालय की पेंशन नियमावली के नियम 50 में यह उल्लेखित किया गया है कि- विश्वविद्यालय के पेंशन नियमों में, जिन मामलों में विश्वविद्यालय की स्थिति, अध्यादेश, नियम और निर्णय मौन हैं, उनमें राजस्थान सेवा नियमों के तहत राजस्थान राज्य सरकार के नियमों और निर्णयों को सन्दर्भित एवं मान्य किया जायेगा। अतः विश्वविद्यालय की पेंशन नियमावली के नियम 50 के अनुसार राजस्थान सिविल सर्विसेज(कम्यूटेशन ऑफ पेंशन) रूल्स, 1996 के नियमों 6(2) एवं 9 में अन्तर्निहित प्रावधानों को विश्वविद्यालय की पेंशन नियमावली में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतू मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। नियम 6(2):- In the case of an applicant referred to Rule 9, the commuted value is paid in two stages, the reduction in the amount of Pension shall be made from the respective dates of the payments as laid down in clause (a) or clause (b) of the Proviso to sub-rule (1).	

	नियम 9 :- Retrospective revision of final Pension- An applicant who has commuted a fraction of his final pension and after commutation his pension has been revised and enhanced retrospectively as a result of Government's decision, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to enhanced pension and the commuted value already authorised. For the payment of difference the applicant shall not be required to apply afresh (कार्यसूची का परिशिष्ट-18) प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
	<u>उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गये</u>:- 1. विद्यार्थियों द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के दौरान प्रवेश शुल्क के रूप में जमा कराये गये शुल्क को, उनके द्वारा अपरिहार्य कारणों से प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में लौटाये जाने के संबंध में श्री रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक **DO No. 2-71/2022 (CPP-II) Dated 2nd August, 2022** पर विचार-विमर्श किया गया । उक्त पत्र में अंकित प्रावधान कोरोना संक्रमण को देखते हुए केवल सत्र 2022-23 हेतु ही किये गये है । अतः उक्त पत्र के अनुसार अब कोई कार्यवाही किया जाना प्रासंगिक नहीं है । अतः विद्यार्थियों के द्वारा जमा कराये गये प्रवेश शुल्क को, अपरिहार्य कारणों से उनके प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में लौटाये जाने के लिए पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 14 (713) शैक्षणिक-II/मदसविवि/2021/13725-14124 दिनांक 11.08.2021 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।	शैक्षणिक-II

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति 31.3.23

कुलसचिव